2025: CGHC: 39707

प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

निर्णय सुरक्षित करने का दिनांक : 18–06–2025

निर्णय उद्घोषित करने का दिनांक 08–08–2025

द्वितीय अपील क्रमांक 234/2018

महेतरिन बाई, पति स्वर्गीय केजू राम सतनामी, जाति सतनामी, निवासी ग्राम भोपसरा, तहसील नवागढ़, जिला बेमेतरा, छत्तीसगढ़।

----अपीलार्थी

विरुद्ध

1. **जीवनलाल**, आत्मज केजूराम, आयु लगभग 38 वर्ष, जाति सतनामी, निवासी ग्राम भोपसरा, तहसील नवागढ़, जिला बेमेतरा, छत्तीसगढ़ (प्रतिवादी)।
2. **श्रीमती हिरमत बाई**, पति पुनवा सतनामी, निवासी ग्राम तेंदुआ, पोस्ट संबलपुर, तहसील नवागढ़, जिला बेमेतरा, छत्तीसगढ़ (वादिनी)।
3. **छत्तीसगढ़ राज्य**, द्वारा कलेक्टर, बेमेतरा, जिला बेमेतरा, छत्तीसगढ़ (प्रतिवादी)।

----प्रत्यर्थीगण

अपीलार्थी हेतु: श्री ज्ञान प्रकाश शुक्ला, अधिवक्ता, श्री अनूप मजूमदार, अधिवक्ता की ओर से उपस्थित।

प्रत्यर्थी क्र.2 हेतु: सुश्री रंजना जायसवाल, अधिवक्ता।

राज्य हेतु: श्री कल्पेश रूपारेल, पैनल अधिवक्ता।

(माननीय न्यायमूर्ति श्री नरेंद्र कुमार व्यास)

सी.ए.वी. निर्णय

1. अपीलार्थी ने सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 100 के अंतर्गत यह द्वितीय अपील विद्वान जिला न्यायाधीश, बेमेतरा द्वारा सिविल अपील क्रमांक 14–A/2017 में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 22–03–2018 (अनुलग्नक A/2) के विरुद्ध प्रस्तुत की है, जिसके द्वारा विद्वान प्रथम अपीलीय न्यायालय ने अपील को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए विद्वान सिविल जज वर्ग–1, बेमेतरा द्वारा सिविल वाद क्रमांक 37–A/2014 में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 17–05–2017 (अनुलग्नक A/1) को संशोधित किया है, और वादिनी हिरमत बाई को स्वर्गीय केजूराम की पुत्री होने के नाते संपत्ति के 1/3 हिस्से की सीमा तक विधिक उत्तराधिकारी घोषित किया है। विद्वान प्रथम अपीलीय न्यायालय ने राजस्व प्राधिकारी को सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 54

सह पठित आदेश 20 नियम 18 के अनुसार हिरमत बाई के हिस्से का विभाजन करने का भी निर्देश दिया है।

2. सुविधा की दृष्टि से, पक्षकारों को इसके बाद विचारण न्यायालय के समक्ष वाद में दर्शाई गई उनकी स्थिति के अनुसार संदर्भित किया जाएगा।

3. इस अपील को इस न्यायालय द्वारा दिनांक 13–07–2018 को निम्नलिखित **विधि के सारवान प्रश्नों** पर स्वीकार किया गया है:—

> "(i) क्या अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने अपीलार्थी महेतरिन बाई के सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 1 नियम 10(2) के तहत प्रस्तुत आवेदन का निर्णय किए बिना, और/या सुनवाई का कोई अवसर प्रदान किए बिना, उसके हिस्से का निर्धारण करने में अवैधता की है, जो कि तर्कहीन है?
>
> (ii) क्या अपीलार्थी महेतरिन बाई को पक्षकार बनाए बिना वादिनी का वाद, सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 1 नियम 9 के परंतुक के आधार पर पोषणीय है ? "

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

4. वाद–पत्र के कथनानुसार **संक्षिप्त तथ्य** इस प्रकार हैं:—

A. वादिनी ने विद्वान सिविल जज वर्ग–1, बेमेतरा के समक्ष मुख्य रूप से यह तर्क देते हुए स्वत्व की घोषणा और आधिपत्य हेतु एक दीवानी वाद प्रस्तुत किया कि वह स्वर्गीय केजूराम की एकमात्र पुत्री है, इसलिए विधिक उत्तराधिकारी होने के नाते वह ग्राम भोपसरा, जिला बेमेतरा में स्थित 2.52 हेक्टेयर भूमि की हकदार है, जो उसके पिता केजूराम के स्वामित्व में थी। वादिनी का यह भी पक्ष है कि जब वह वादग्रस्त संपत्ति का आधिपत्य लेने गई, तब उसे पता चला कि प्रतिवादी क्रमांक 1 जीवनलाल ने वादग्रस्त संपत्ति पर अवैध रूप से अतिक्रमण कर लिया है। यह भी अभिवचति किया गया है कि प्रतिवादी क्रमांक 1 द्वारा तहसीलदार नवागढ़ के समक्ष नामांतरण हेतु प्रस्तुत आवेदन के आधार पर, उक्त नामांतरण उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना और वादिनी को नोटिस जारी किए बिना कर दिया गया है।

B. यह आगे तर्क दिया गया है कि प्रत्यर्थी क्रमांक 1 जीवनलाल, केजूराम का पुत्र नहीं है। यह भी कहा गया है कि जब केजूराम ने 'चूड़ी प्रथा/रीति' के माध्यम से महेतरिन बाई के साथ विवाह किया था, उस समय वह गर्भवती थी, अतः वह (जीवनलाल) केजूराम का पुत्र नहीं है और वह गोतीलाल का पुत्र है। जब प्रतिवादी ने वादग्रस्त संपत्ति का आधिपत्य खाली करने से इनकार कर

दिया, तब वाद का कारण उत्पन्न हुआ, इसलिए उसने आधिपत्य, स्वत्व की घोषणा और प्रतिवादी क्रमांक 1 से वादग्रस्त संपत्ति का आधिपत्य वापस पाने हेतु वाद प्रस्तुत किया है।

5. प्रतिवादी क्रमांक 1 ने वाद–पत्र में लगाए गए आरोपों का खंडन करते हुए लिखित कथन दाखिल किया, जिसमें मुख्य रूप से यह तर्क दिया गया कि वादिनी हिरमत बाई, स्वर्गीय केजूराम की एकमात्र विधिक उत्तराधिकारी नहीं है; केजूराम की मृत्यु 12 वर्ष पूर्व हुई थी और उन्होंने वादग्रस्त संपत्ति उसे सौंप दी थी, जिसके अनुसार राजस्व अभिलेखों में उसका नाम दर्ज किया गया था। इस बात से भी इनकार किया गया कि उसने अवैध रूप से वादग्रस्त संपत्ति पर अतिक्रमण किया है। इस तथ्य से भी इनकार किया गया कि वादिनी केजूराम की एकमात्र पुत्री है; महेतरिन बाई केजूराम की विधिमान्य विवाहित पत्नी है और उनके विवाह संबंध से ही उसका जन्म हुआ है। शेष कथनों का खंडन करते हुए उसने वाद को निरस्त करने की प्रार्थना की।

6. विद्वान विचारण न्यायालय ने पक्षकारों के अभिवचनों के आधार पर दिनांक 13–08–2013 को कुल पांच विवाद्यक निर्मित किए। विवाद्यक क्रमांक 1, 2 और 3 सुसंगत हैं, जिन्हें नीचे उद्धृत किया गया है:

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

1.क्या वादिनी मृत केजूराम की एक मात्र संतान है?

2.क्या वादिनी वादग्रस्त भूमि–मकान का एक मात्र स्वामी है?

3.क्या वादिनी वादग्रस्त भूमि–मकान का कब्जा प्राप्त करने की अधिकारिणी है?

7. वादिनी हिरमत बाई ने अपने प्रकरण की पुष्टि हेतु राजस्व कार्यवाही का आदेश (प्रदर्श पी./1), आय प्रमाण पत्र (प्रदर्श पी./2) प्रदर्शित किया है और सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 18 नियम 4 के तहत शपथ–पत्र के माध्यम से स्वयं का परीक्षण कराया है। मुख्य परीक्षा में उसने वाद–पत्र के कथनों का समर्थन किया है और प्रतिपरीक्षा में उसने स्वीकार किया है कि जब उसके पिता जीवित थे, तब उसने इस संबंध में कोई मामला प्रस्तुत नहीं किया था। उसने यह भी स्वीकार किया है कि जीवनलाल, केजूराम का पुत्र नहीं है। उसने यह भी कथन किया है कि गोतीलाल, जीवनलाल का पिता था और उसने इस संबंध में दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं, लेकिन वे अभिलेख पर उपलब्ध नहीं हैं। उसने प्रतिपरीक्षा में यह भी स्वीकार किया कि जीवनलाल का जन्म केजूराम और महेतरिन बाई के वैवाहिक संबंध से हुआ था और महेतरिन बाई तथा केजूराम का विवाह 'चूड़ी प्रथा' के माध्यम से संपन्न हुआ था।

8. विचारण न्यायालय के समक्ष एक कार्तिकराम का भी (अ.सा./2) के रूप में परीक्षण किया गया, जिसने वादिनी के प्रकरण का समर्थन किया है, जिसमें उसने मुख्य परीक्षा में कहा है कि उनके समुदाय में चूड़ी प्रथा/रीति प्रचलित है और जब महेतरिन बाई ने केजूराम के साथ विवाह किया था, उस समय वह गर्भवती थी और चूड़ी प्रथा में केजूराम के साथ उसके विवाह के तुरंत बाद, तीन महीने के भीतर उसने जीवनलाल नामक बच्चे को जन्म दिया और वास्तव में जीवनलाल, केजूराम का पुत्र नहीं है। जैसा कि दिनांक 7–4–2015 की आदेश पत्रिका से स्पष्ट है, उक्त गवाह से प्रतिपरीक्षा नहीं की गई थी और उस दिन वादिनी ने अपना साक्ष्य बंद कर दिया था। तत्पश्चात, मामला प्रतिवादी के साक्ष्य हेतु नियत किया गया था। अतः, इस साक्ष्य पर विचार किए जाने की आवश्यकता नहीं है।

9. प्रतिवादी क्रमांक 1 जीवनलाल ने सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 18 नियम 4 के अनुसार शपथ–पत्र के माध्यम से स्वयं का परीक्षण कराया, जिसमें इस गवाह ने अपने अभिवचनों में लिए गए पक्ष को दोहराया है। वादिनी द्वारा उक्त गवाह से प्रतिपरीक्षा की गई, जिसमें उसने इस बात से इनकार किया कि जब चूड़ी प्रथा में महेतरिन बाई और केजूराम का विवाह संपन्न हुआ था, उस समय वह गर्भवती थी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

10. विचारण न्यायालय के समक्ष महेतरिन बाई का भी (ब.सा./2) के रूप में परीक्षण किया गया, जिसमें उसने प्रतिवादी क्रमांक 1 के प्रकरण का समर्थन किया है और उसने कहा है कि केजूराम ने अपने जीवनकाल के दौरान अपनी 1 ½ एकड़ भूमि बेच दी थी और हिरमत बाई को पैसे दिए थे, अतः वादिनी हिंरमत बाई का वादग्रस्त सपत्ति पर कोई अधिकार नहीं है। उक्त गवाह से प्रतिपरीक्षा की गई, जिसमें उसने इस बात से इनकार किया कि जब उसने केजूराम के साथ विवाह किया था, तब वह गर्भवती थी और उसने यह भी स्वीकार किया कि चूड़ी प्रथा में केजूराम के साथ विवाह के बाद, तीन महीने के भीतर जीवनलाल का जन्म हुआ था। उसने यह भी स्वीकार किया कि अपने जीवनकाल के दौरान हिरमत बाई, केजूराम से मिलने आया करती थी।

11. विद्वान विचारण न्यायालय ने अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य और तथ्य के आधार पर निर्णय एवं डिक्री दिनांक 17–5–2017 के माध्यम से वादिनी के वाद को आंशिक रूप से डिक्रीत किया और विवाद्यक क्रमांक 1 का निर्णय वादिनी के विरुद्ध किया तथा प्रतिवादी क्रमांक 1 और वादिनी को आधा–आधा हिस्सा प्रदान किया। विद्वान विचारण न्यायालय ने वाद को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए अधिनियम, 1956 की धारा 8 का भी संज्ञान लिया कि एक हिंदू पुरुष की मृत्यु के बाद, संपत्ति पहले अनुसूची की श्रेणी–1 के विधिक वारिसों को दी जाएगी और अधिनियम, 1956 की धारा 9 के अनुसार, वारिसों के बीच श्रेणी–1 के वारिसों की सूची

अनुसूची में निर्दिष्ट है, जिसमें पुत्र, पुत्री, विधवा, माता और पूर्व मृत पुत्र एवं पुत्री के पुत्र और पुत्री शामिल हैं। तदनुसार, वादिनी और प्रतिवादी श्रेणी–1 के विधिक उत्तराधिकारी हैं और महेतरिन बाई, केजूराम की विधिमान्य विवाहित पत्नी थी, लेकिन उसे हिस्सा देने के संबंध में कोई अभिवचन नहीं था और विधवा होने के नाते उसने किसी वादग्रस्त संपत्ति का दावा नहीं किया था। विद्वान विचारण न्यायालय ने यह निष्कर्ष भी दर्ज किया कि महेतरिन बाई और केजूराम का विवाह चूड़ी प्रथा/रीति के अनुसार संपन्न हुआ था जो एक वैध विवाह था, इसलिए वह एक विधवा है, किंतु महेतरिन बाई को वादग्रस्त संपत्ति का कोई आधा हिस्सा प्रदान नहीं किया गया, बल्कि वादिनी और प्रतिवादी को वादग्रस्त संपत्ति का आधा–आधा हिस्सा प्रदान किया गया।

12. उपरोक्त आदेश से व्यथित होकर, प्रतिवादी क्रमांक 1 जीवनलाल ने यह तर्क देते हुए अपील प्रस्तुत की है कि अपीलार्थी की माता महेतरिन बाई जीवित है, लेकिन उसे प्रकरण में पक्षकार नहीं बनाया गया है, जबकि महेतरिन बाई का भी वादग्रस्त संपत्ति पर अधिकार है, इसलिए प्रतिवादी क्रमांक 1 अकेले संपत्ति रखने का हकदार नहीं है, बल्कि माता होने के नाते महेतरिन बाई संपत्ति प्राप्त करने की हकदार है। महेतरिन बाई का विचारण न्यायालय के समक्ष परीक्षण किया गया है, इस निर्णायात्मक साक्ष्य के बावजूद, विद्वान विचारण न्यायालय ने वादिनी को आधा हिस्सा प्रदान करने में अवैधता की है और निर्णय एवं डिक्री को अपास्त करने की प्रार्थना की है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

13. अपील के लंबन के दौरान, महेतरिन बाई ने प्रथम अपीलीय न्यायालय के समक्ष मुख्य रूप से यह तर्क देते हुए स्वयं को प्रकरण में पक्षकार बनाने के लिए **सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 151 सह पठित आदेश 1 नियम 10(2)** के तहत एक आवेदन प्रस्तुत किया कि वह केजूराम की विधिमान्य विवाहित पत्नी है, इसलिए उसने भी वादग्रस्त संपत्ति पर स्वत्व उत्तराधिकार में प्राप्त किया है और वास्तव में वह वादग्रस्त संपत्ति का उपयोग कर रही है, अतः उसे आवश्यक पक्षकार के रूप में पक्षकार बनाने हेतु प्रार्थना की गई। प्रथम अपीलीय न्यायालय के अभिलेख से यह दर्शित होता है कि पूर्व में अपील विद्वान प्रथम अपीलीय न्यायालय के समक्ष उक्त आवेदन पर बहस हेतु नियत थी और तत्पश्चात 21–03–2018 को प्रथम अपीलीय न्यायालय ने अंतिम तर्क सुने और आदेश दिनांक 22–03–2018 के माध्यम से **सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 1 नियम 10(2)** के तहत प्रस्तुत आवेदन को स्वीकार करते हुए निर्णय एवं डिक्री पारित की, और वादिनी हिरमत बाई को **1/3 हिस्सा** प्रदान किया तथा यह भी माना कि महेतरिन बाई भी वादग्रस्त संपत्ति को 1/3 की सीमा तक उत्तराधिकार में प्राप्त करने की हकदार है।

14. विद्वान प्रथम अपीलीय न्यायालय ने **सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 1 नियम 10(2)** के तहत प्रस्तुत आवेदन को स्वीकार करते हुए इस तथ्य को संज्ञान में लिया कि 13 वर्ष पहले ही व्यतीत हो चुके हैं, यदि आपत्तिकर्ता को वाद में पक्षकार के रूप में जोड़ा जाता है और मामला विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाता है, तो इसमें फिर से अधिक समय लगेगा, इसलिए आवेदन स्वीकार किया गया और उन्हें अपील में प्रतिवादी क्रमांक 3 के रूप में पक्षकार बनाया गया। तत्पश्चात, प्रथम अपीलीय न्यायालय ने निर्णय एवं डिक्री को आंशिक रूप से संशोधित करते हुए वादिनी हिरमत बाई को 1/3 हिस्सा प्रदान किया। उपरोक्त निर्णय एवं डिक्री से व्यथित होकर महेतरिन बाई ने यह द्वितीय अपील प्रस्तुत की है।

15. यह द्वितीय अपील इस न्यायालय द्वारा उपरोक्त निर्णय के कंडिका 2 में उल्लेखित **विधि के सारवान प्रश्नों** पर स्वीकार की गई थी।

16. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क दिया कि विद्वान विचारण न्यायालय को वाद को ही निरस्त कर देना चाहिए था क्योंकि केजूराम के विधिक उत्तराधिकारी को प्रकरण में पक्षकार नहीं बनाया गया था, जबकि महेतरिन बाई प्रकरण में आवश्यक पक्षकार थी और उसे पक्षकार बनाए बिना, विचारण न्यायालय ने प्रकरण की कार्यवाही आगे बढ़ाई। उन्होंने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री को अपास्त किया जाना चाहिए था क्योंकि महेतरिन बाई का साक्ष्य दर्ज किए बिना उसके अधिकारों को दर्ज नहीं किया जा सकता है। अतः, उन्होंने प्रार्थना की कि इस न्यायालय द्वारा निर्मित विधि के सारवान प्रश्नों का उत्तर अपीलार्थी के पक्ष में दिया जाना चाहिए। यह भी तर्क दिया गया कि विद्वान विचारण न्यायालय ने **सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 151 सह पठित आदेश 1 नियम 10(2)** के प्रावधानों पर उनके सही परिप्रेक्ष्य में विचार नहीं किया है और निर्णय एवं डिक्री को अपास्त करने की प्रार्थना की।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

17. इसके विपरीत, प्रत्यर्थी क्रमांक 2 (वादिनी) के विद्वान अधिवक्ता ने आक्षेपित निर्णय एवं डिक्री का समर्थन करते हुए तर्क दिया कि यद्यपि वाद महेतरिन बाई को पक्षकार बनाए बिना प्रस्तुत किया गया था, किंतु विद्वान प्रथम अपीलीय न्यायालय ने आवेदन को स्वीकार करने में अपनी शक्ति का सही प्रयोग किया है जिसे त्रुटिपूर्ण या विधि के विरुद्ध नहीं माना जा सकता। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि वर्ष 2005 में संशोधित **हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम** के अनुसार, पुत्री सह–समांशी होने के नाते वादग्रस्त संपत्ति प्राप्त करने की हकदार है और उन्होंने अपील को निरस्त करने की प्रार्थना की।

18. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना, उनके द्वारा ऊपर प्रस्तुत परस्पर विरोधी तर्कों पर विचार किया और दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेखों का अत्यंत सूक्ष्मता एवं सावधानीपूर्वक परिशीलन किया है।

विधि के सारवान प्रश्न क्रमांक 1 पर चर्चा एवं निष्कर्ष

19. विधि के सारवान प्रश्न का मूल्यांकन करने के लिए, इस न्यायालय हेतु **सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 41 नियम 33** के प्रावधानों का अवलोकन करना उल्लेखनीय है, जो इस प्रकार है:

> "**आदेश 41 नियम 33: अपीलीय न्यायालय की शक्ति—** अपीलीय न्यायालय को ऐसी कोई भी डिक्री पारित करने और ऐसा कोई आदेश देने की शक्ति होगी जो पारित की जानी चाहिए थी या दी जानी चाहिए थी और ऐसी अन्य या आगे की डिक्री या आदेश पारित करने या देने की शक्ति होगी जैसा कि प्रकरण की आवश्यकता हो, और इस शक्ति का प्रयोग न्यायालय द्वारा इस बात के बावजूद किया जा सकेगा कि अपील डिक्री के केवल एक भाग के संबंध में है और इसका प्रयोग सभी या किसी भी प्रत्यर्थी या पक्षकार के पक्ष में किया जा सकेगा, भले ही ऐसे प्रत्यर्थी या पक्षकार ने कोई अपील या आपत्ति प्रस्तुत न की हो और जहाँ प्रति–वादों में डिक्री हुई हो या जहाँ एक ही वाद में दो या अधिक डिक्री पारित की गई हों, वहां इस शक्ति का प्रयोग सभी या किसी भी डिक्री के संबंध में किया जा सकेगा, भले ही ऐसी डिक्रियों के विरुद्ध अपील प्रस्तुत न की गई हो:
>
> **परंतु** अपीलीय न्यायालय धारा 35 क के अधीन कोई ऐसा आदेश किसी ऐसी आपत्ति के अनुसरण में नहीं करेगा जिस पर उस न्यायालय ने, जिसकी डिक्री के विरुद्ध अपील की गई है, ऐसा आदेश करने का लोप किया है या उससे इनकार किया है।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

20. सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 41 नियम 33 के प्रावधानों के परिशीलन से यह अत्यंत स्पष्ट है कि विद्वान प्रथम अपीलीय न्यायालय के पास ऐसी कोई भी डिक्री पारित करने और ऐसा कोई आदेश देने की समस्त शक्तियाँ होंगी जो पारित की जानी चाहिए थी या दी जानी चाहिए थी, और ऐसी आगे की या अन्य डिक्री या आदेश पारित करने या देने की शक्ति होगी जैसा कि प्रकरण की आवश्यकता हो; और इस शक्ति का प्रयोग न्यायालय द्वारा इस बात के बावजूद किया जा सकेगा कि अपील डिक्री के केवल एक भाग के संबंध में है, और इसका प्रयोग सभी या किसी भी प्रत्यर्थी या पक्षकार के पक्ष में किया जा सकेगा, भले ही ऐसे प्रत्यर्थी या पक्षकार ने कोई अपील या आपत्ति प्रस्तुत न की हो, और जहाँ प्रति–वादों में डिक्री हुई हो या जहाँ एक ही वाद में दो या

अधिक डिक्री पारित की गई हों, वहां इस शक्ति का प्रयोग सभी या किसी भी डिक्री के संबंध में किया जा सकेगा, भले ही ऐसी डिक्रियों के विरुद्ध अपील प्रस्तुत न की गई हो।

21. सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 41 नियम 33 के अनुसार अपीलीय न्यायालय की शक्ति और अधिकारिता **के. मुत्थु स्वामी गौंडर बनाम एन. पलनिअप्पा, 1998 (7) SCC 327** में रिपोर्ट किए गए प्रकरण में माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष विचारार्थ आई, जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय ने कंडिका 12 में निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया है, जो इस प्रकार पठित है:

> "12. आदेश XLI नियम 33 अपीलीय न्यायालय को ऐसी कोई भी डिक्री या आदेश पारित करने में समर्थ बनाता है जो दिया जाना चाहिए था और प्रकरण के अनुसार सभी या किसी भी पक्षकार के पक्ष में ऐसी आगे की डिक्री या आदेश देने के लिए समर्थ बनाता है, भले ही (i) अपील डिक्री के केवल एक भाग के संबंध में हो; और (ii) ऐसे पक्षकार या पक्षकारों ने अपील प्रस्तुत न की हो। इस नियम के तहत शक्ति का प्रयोग करने के लिए आवश्यक शर्त यह है कि कार्यवाही के पक्षकार न्यायालय के समक्ष हों और उठाया गया प्रश्न अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय से उचित रूप से उत्पन्न होता हो, और उस स्थिति में अपीलीय न्यायालय, न्यायालय के आदेश या डिक्री के किसी भी भाग पर किसी भी आपत्ति पर विचार कर सकता है और उसे सुधार सकता है। हम इस विचार में इस न्यायालय के निर्णय **AIR 1988 S.C. 54** द्वारा पुष्ट हैं। उन परिस्थितियों के संबंध में कोई कठोर नियम निर्धारित नहीं किया जा सकता जिनके तहत सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश XLI नियम 33 के अधीन शक्ति का प्रयोग किया जा सकता है, और प्रत्येक मामला अपने स्वयं के तथ्यों पर निर्भर होना चाहिए। यह नियम अपीलीय न्यायालय को कोई भी ऐसा आदेश/डिक्री पारित करने में समर्थ बनाता है जो पारित की जानी चाहिए थी। सामान्य सिद्धांत यह है कि डिक्री उस पर पक्षकारों के लिए तब तक आबद्धकारी होती है जब तक कि उसे उचित कार्यवाही में अपास्त न कर दिया जाए, सामान्यतः अपीलीय न्यायालय को उस पक्षकार के पक्ष में डिक्री/आदेश में परिवर्तन या उसे उलट नहीं देना चाहिए जिसने कोई अपील प्रस्तुत नहीं की है, और यह नियम सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश XLI नियम 33 के बावजूद प्रभावी रहता है। हालांकि, अपवादात्मक मामलों में, यह

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

नियम अपीलीय न्यायालय को ऐसी डिक्री या आदेश पारित करने में समर्थ बनाता है जो पारित किया जाना चाहिए था, भले ही ऐसी डिक्री उन पक्षकारों के पक्ष में हो जिन्होंने कोई अपील प्रस्तुत नहीं की है। यह शक्ति, यद्यपि विवेकाधीन है, केवल इस आधार पर प्रयोग करने से इनकार नहीं किया जाना चाहिए कि पक्षकार ने कोई अपील प्रस्तुत नहीं की है। हम इस तर्क से प्रभावित नहीं हैं कि प्रदर्श A6 'प्रतिभूति विलेख' की प्रकृति के संबंध में निष्कर्ष अंतिम हो गया है क्योंकि यह निष्कर्ष प्राङ्न्याय के रूप में कार्य करता है। जब पूरा मामला अभी भी अपील में था और निष्कर्ष के किसी भी भाग को अपीलीय न्यायालय द्वारा बदला जा सकता था, तो यह तर्क देना व्यर्थ है कि वह अंतिम हो गया था। इसी तरह, जब मामला अंतिमता प्राप्त नहीं कर पाया था और अभी भी विवाद में था, तो प्राङ्न्याय का सिद्धांत उत्पन्न नहीं हो सकता था। कुछ मामलों में पूर्व स्तर पर दर्ज निष्कर्ष प्राङ्न्याय के रूप में कार्य करेगा यदि ऐसा निष्कर्ष अंतिम हो गया हो। वर्तमान प्रकरण में वैसी स्थिति नहीं थी। उच्च न्यायालय को प्रदर्श A6 के तहत विलेख से उत्पन्न पक्षकारों के अधिकारों का पता लगाना था और अपीलार्थी की अनुवर्ती बंधकदार के रूप में स्थिति निर्धारित करने के लिए अनिवार्य रूप से किसी न किसी तरह का निष्कर्ष देना था। ऐसा करते हुए उच्च न्यायालय ने यह तय किया कि दस्तावेज़ प्रदर्श A6 एक 'भार' की श्रेणी में नहीं आता है और इसलिए, अपीलार्थी ने उसके तहत अनुवर्ती बंधकदार के कोई अधिकार प्राप्त नहीं किए। ऐसा मानने के बाद उच्च न्यायालय ने डिक्री को उलटने की दिशा में कदम बढ़ाया, क्योंकि अन्यथा यदि 'भार' के अस्तित्व न होने के निष्कर्ष के बावजूद मोचन की डिक्री बनी रहती, तो परिणामी अधिकार अनुवर्ती बंधकदार के रूप में विसंगतिपूर्ण, यदि हास्यास्पद नहीं तो, होते। और इसलिए, उच्च न्यायालय ने इस प्रकरण में उत्पन्न विशेष परिस्थितियों में सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश XLI नियम 33 के तहत निहित विवेक का प्रयोग किया। यह नहीं कहा जा सकता कि ऐसा प्रश्न विचाराधीन प्रकरण के निर्धारण के लिए प्रासंगिक नहीं था। अपने पक्ष में निष्कर्ष का बचाव करने के लिए प्रत्यर्थी यह तर्क दे सकता था कि अपीलार्थी अनुवर्ती बंधकदार होने का दावा नहीं कर सकता क्योंकि प्रदर्श A6 से

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

कोई 'भार' उत्पन्न नहीं होता है। उस स्थिति में यह नहीं कहा जा सकता कि प्रत्यर्थी के रुख में कोई असंगति है। इसलिए, हम पाते हैं कि अपीलार्थी के तर्क में कोई सार नहीं है और उसे खारिज किया जाता है।"

22. माननीय उच्चतम न्यायालय ने **चंद्रमोहन रामचंद्र पाटिल एवं अन्य बनाम बापू कोयाप्पा पाटिल (मृत) विधिक प्रतिनिधियों के माध्यम से एवं अन्य**, (2003) 3 SCC 552 के प्रकरण के कंडिका 13 में निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया है:

"13. इस तर्क में कोई सार नहीं है। विभाजन के वाद में, वादी और प्रतिवादी समान दर्जे के पक्षकार होते हैं। यदि विभाजन के अधिकार को न्यायालय द्वारा मान्यता दी गई है और उसे बरकरार रखा गया है, तो केवल इसलिए कि केवल कुछ वादियों ने अपील की थी और सभी ने नहीं, न्यायालय शक्तिहीन नहीं था। यह सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 41 नियम 4 सह पठित आदेश 41 नियम 33 के प्रावधानों का आह्वान कर सकता है। आदेश 41 नियम 4 का उद्देश्य वाद के पक्षकारों में से किसी एक को अपील में अनुतोष प्राप्त करने में समर्थ बनाना है, जब उस डिक्री के विरुद्ध अपील की गई हो जो उसके और अन्य पक्षकारों के किसी सामान्य आधार पर आधारित हो। ऐसी अपील में न्यायालय उन सभी पक्षकारों के पक्ष में डिक्री को उलट सकता है या उसमें परिवर्तन कर सकता है, जिनका हित अपीलार्थी के समान ही है।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

23. माननीय उच्चतम न्यायालय ने **रंजना प्रकाश एवं अन्य बनाम डिवीजनल मैनेजर एवं अन्य**, (2011) 14 SCC 639 के प्रकरण के कंडिका 7 में निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया है:

"7. यह सिद्धांत सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 41 नियम 33 से भी प्रवाहित होता है जो एक अपीलीय न्यायालय को ऐसा कोई भी आदेश पारित करने में समर्थ बनाता है जो विचारण न्यायालय द्वारा पारित किया जाना चाहिए था और ऐसा आगे का या अन्य आदेश देने के लिए समर्थ बनाता है जैसा कि प्रकरण की आवश्यकता हो, भले ही प्रत्यर्थी ने कोई अपील या प्रति–आक्षेप प्रस्तुत न किया हो। यह शक्ति अपीलीय न्यायालय को पक्षकारों के बीच पूर्ण न्याय करने में समर्थ बनाने के लिए सौंपी गई है। हालाँकि, संहिता के आदेश 41 नियम 33 का उपयोग पंचाट को अधिक प्रभावी बनाने या अन्य आधारों पर पंचाट को बनाए

रखने या मुकदमेबाजी के अन्य पक्षकारों को लाभ या दायित्व साझा करने के लिए किया जा सकता है, लेकिन इसका आह्वान बड़ा या उच्चतर अनुतोष प्राप्त करने के लिए नहीं किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, जहाँ दावेदार वाहन के स्वामी और बीमाकर्ता के विरुद्ध मुआवजे की मांग करते हैं और न्यायाधिकरण केवल स्वामी के विरुद्ध पंचाट पारित करता है, तो स्वामी द्वारा मुआवजे की राशि को चुनौती देने वाली अपील पर, अपीलीय न्यायालय बीमाकर्ता को स्वामी के साथ मुआवजे का भुगतान करने के लिए संयुक्त रूप से और पृथक रूप से उत्तरदायी ठहरा सकता है, भले ही दावेदारों ने बीमाकर्ता के विरुद्ध अनुतोष न दिए जाने को चुनौती न दी हो। चाहे जो भी हो।"

24. विद्वान प्रथम अपीलीय न्यायालय ने अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य और तथ्य पर विचार करते हुए यह निष्कर्ष दर्ज किया है कि केजूराम की विधिमान्य विवाहित पत्नी होने के नाते वह श्रेणी–1 के विधिक उत्तराधिकारी की श्रेणी में आती है और उसकी अनुपस्थिति में वादग्रस्त संपत्ति को उसके हिस्से की सीमा तक उत्तराधिकार में प्राप्त करने का उसका अधिकार प्रतिकूल रूप से प्रभावित होता है। अतः, प्रथम अपीलीय न्यायालय ने **सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 151 सह पठित आदेश 1 नियम 10 (2)** के तहत प्रस्तुत आवेदन को सही ढंग से स्वीकार किया है और तत्पश्चात **सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 41 नियम 33** के तहत प्रदत्त अपनी शक्ति का प्रयोग किया है, जो प्रकरण के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए आवश्यक है; इसे त्रुटिपूर्ण या आदेश 41 नियम 33 के तहत प्रदत्त क्षेत्राधिकार का उल्लंघन नहीं माना जा सकता। विद्वान प्रथम अपीलीय न्यायालय ने यह निष्कर्ष दर्ज करते हुए निर्णय एवं डिक्री पारित की है कि महेतरिन बाई और केजूराम के बीच विवाह राज्य में प्रचलित **'चूड़ी प्रथा'** के माध्यम से संपन्न हुआ था, जो विवाह की एक सुस्थापित मान्यता प्राप्त रीति है, और वादिनी द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष अपने साक्ष्य में की गई स्वीकारोक्ति के आलोक में, महेतरिन बाई की स्वर्गीय केजूराम की पत्नी के रूप में स्थिति के संबंध में पक्षकारों के बीच कोई विवाद नहीं था। इस नाते, उसे प्रकरण में पक्षकार बनाया जाना चाहिए था, अतः वह अपने पति से उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति में हिस्सा पाने की भी हकदार है और उसकी अनुपस्थिति में वादग्रस्त संपत्ति का विभाजन नहीं किया जा सकता है। इसलिए, यह नहीं कहा जा सकता कि विद्वान प्रथम अपीलीय न्यायालय ने पक्षकारों के बीच पूर्ण न्याय करने के लिए सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 41 नियम 33 के तहत प्रदत्त

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए अपीलार्थी महेतरिन बाई के हिस्से का निर्धारण करने में कोई अवैधता की है।

25. विधि के सभी तथ्यों और साक्ष्य पर विचार करते हुए तथा उपरोक्त न्यायदृष्टांतों में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विधि को ध्यान में रखते हुए, मेरा यह मत है कि **विधि के सारवान प्रश्न क्रमांक 1** का उत्तर अपीलार्थी महेतरिन बाई के विरुद्ध दिया जाना उचित है।

विधि के सारवान प्रश्न क्रमांक 2 पर चर्चा एवं निष्कर्ष

26.जहाँ तक विधि के सारवान प्रश्न क्रमांक 2 के संबंध में निष्कर्ष का प्रश्न है कि क्या अपीलार्थी महेतरिन बाई को पक्षकार बनाए बिना वादिनी का वाद **सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 1 नियम 9 के परंतुक** के आधार पर पोषणीय है, इस सारवान प्रश्न का मूल्यांकन करने के लिए, इस न्यायालय हेतु **सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 1 नियम 9** के प्रावधानों का अवलोकन करना उल्लेखनीय है, जो इस प्रकार है:

> "9. **कुसंयोजन और अ–संयोजन** —
>
> कोई भी वाद पक्षकारों के कुसंयोजन या अ–संयोजन के कारण विफल नहीं होगा, और न्यायालय हर वाद में विवादग्रस्त विषय का निपटारा वहां तक कर सकेगा जहां तक कि वह वास्तव में अपने समक्ष उपस्थित पक्षकारों के अधिकारों और हितों का संबंध है:
>
> **परंतु** इस नियम की कोई भी बात किसी **आवश्यक पक्षकार** के अ–संयोजन पर लागू नहीं होगी।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

27. उपरोक्त प्रावधानों के परिशीलन से यह अत्यंत स्पष्ट है कि महेतरिन बाई, स्वर्गीय केजूराम की विधिमान्य विवाहित पत्नी होने के नाते एक **आवश्यक पक्षकार** थी, इसलिए वह हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 8 के अनुसार अपने पति की वादग्रस्त संपत्ति उत्तराधिकार में प्राप्त करने की हकदार है। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की अनुसूची–1 के अनुसार, विधवा श्रेणी–1 की विधिक उत्तराधिकारी होती है, अतः वह इस प्रकरण में एक आवश्यक पक्षकार थी; इसके बावजूद विचारण जारी रहा, किंतु विद्वान प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा वर्तमान अपीलार्थी महेतरिन बाई द्वारा सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 1 नियम 10 के तहत प्रस्तुत आवेदन को स्वीकार कर उक्त अनियमितता को सुधार लिया गया है। इस प्रकार, वाद की त्रुटि का प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा उपचार कर दिया गया है और इस तथ्य को

ध्यान में रखते हुए कि अपील वाद की कार्यवाही का ही सातत्य है, ऐसी कोई अवैधता नहीं है जो इतनी घातक हो कि इस आधार पर वाद को निरस्त किया जा सके।

28. विद्वान प्रथम अपीलीय न्यायालय ने महेतरिन बाई को अपील में पक्षकार के रूप में संयोजित करने के आवेदन को स्वीकार करते हुए इस तथ्य को संज्ञान में लिया कि वादिनी और प्रतिवादी के हिस्से का निर्धारण करने के लिए वाद पिछले 13–14 वर्षों से लंबित था। उन्हें अपील में आवश्यक पक्षकार के रूप में संयोजित करते हुए आवेदन स्वीकार किया गया और तत्पश्चात उनमें से प्रत्येक के हिस्से का निर्धारण किया गया, जो हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की अनुसूची–1 की धारा 8 के प्रावधानों के अनुरूप है। इस प्रकार, विद्वान प्रथम अपीलीय न्यायालय ने त्रुटि का निवारण कर दिया है, इसलिए इस न्यायालय द्वारा निर्मित **विधि के सारवान प्रश्न क्रमांक 2** का उत्तर प्रतिवादी और अपीलार्थी के विरुद्ध दिया जाना उचित है, क्योंकि अपीलार्थी महेतरिन बाई का हिस्सा पहले से ही सुरक्षित है।

29. तदनुसार, यह द्वितीय अपील सारहीन होने के कारण निरस्त किए जाने योग्य है और इसे एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है।

30. इस न्यायालय द्वारा दिनांक 13–07–2018 को पारित अंतरिम आदेश को वापस लिया जाता है। वाद व्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं किया जा रहा है।

31. तदनुसार डिक्री तैयार की जाए।

WebCopy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सही /–

(नरेन्द्र कुमार व्यास)

न्यायाधीश

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।